

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 6453 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 22, अप्रैल, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के कि०मी० 29 से चामूल भण्डारीगोव रजवार तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.555 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/41148/2019)।

संदर्भ:- आपका पत्रांक संख्या 2006/12-1 दिनांक 16.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय की पत्र संख्या 933/12-1 दिनांक 12.08.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसमें वर्तमान तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः सुलभ संदर्भ हेतु अनुपालन आख्या की छायाप्रति पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,



(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या- 6453 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि अनुपालन आख्या ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।



(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopith-forest-uk@nic.in; Fax/ 05964-225234

पत्रांक:- 933 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 12, अगस्त, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अंतर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.555 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। (प्रपोजल/FP/UK/ROAD/41148/2019)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी/U.C.P/ 06/05/2021/एफ०सी०/2203 दिनांक-29.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की प्रस्तावक विभाग स्तर से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है-

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.11 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं० 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427,1509,1691,1724,1872,192 7,2346,2487,2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892,2831,2835,30 94,3125,3149,3518,3580,3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003,40 53,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.11 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सिविल खसरा नं० 16,38,393,686,769,768,1244,1361,1427, 1509,1691,1724,1872,1927,2346,2487, 2556,2559,2563,2676,2689,2691,2892, 2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580, 3917,4023,4182,4329,4510,4005,4003, 4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुए मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख) प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र में से 3.00 हे० MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे० क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र में दर्शित MDF क्षेत्र वास्तव में झाड़ीनुमा है, तथा उक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है, जिसमें 1000 वृक्ष/हे० की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है (रिपोर्ट संलग्न)।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/ सात-05/2022-23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 7.11 हे० राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। उक्त सी०ए० क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

	(घ) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (PL-2) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक-05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88 दिनांक 24.03.2022 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। शपथ पत्र संलग्न।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
6	राज्य सरकार villege wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकारण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	State Govt-will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt-will strictly monitor and ensure that no futher activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	कार्य की अनुमति संलग्न है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों की राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई/की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- 933 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर कालोनी, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ के सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के कि०मी० 29 से चामुल भण्डारीगांव रजवार तक का निर्माण (प्रस्ताव सं० 41148/2019)।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल भण्डारीगांव रजवार सिविल के 7.11 हे० क्षेत्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल वनाच्छादित नहीं है, बल्कि क्षेत्र लैण्डाना झाड़िया व गाजर घास से युक्त झाड़ीनुमा है, जिसका हरियाली घनत्व 0.4 से कम है, जिसमें दिनांक 08.11.2017 की गाईडलाईन अनुसार 1000 पौध प्रति हे० की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है।

वन क्षेत्र अधिकारी
सीडीहाट

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (3.555 हे०)।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित सी०ए० क्षेत्र ग्राम भण्डारीगांव रजवार पट्टी मुवानी तहसील देवलथल (7.11 हे०) में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

वन क्षेत्र अधिकारी
सीटीहाट


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी० 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (3.555 हे०)।

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी० 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.555 हे० वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भण्डारीगांव रजवार पट्टी मुवानी तहसील देवलथल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं०-67, श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत सं० 7776 रकवा 1.254 हे०, 7778 रकवा 1.314 हे०, 7780 रकवा 1.189 हे०, 11081 रकवा 0.030 हे०, 11082 रकवा 3.009 हे०, 11083 रकवा 0.314 हे० कुल 06 खेतों की 7.110 हे० सिविल भूमि सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1899/60/2021-22 दिनांक 01.07.2024 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8वी/यू.सी.पी./06/05/2021/एफ.सी./2203 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत सातशिलिंग थल के चमू से भण्डारी गांव रजवार मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.555 है० वन भूमि को बदले दोगुनी 7.110 है० राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(M)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत सातशिलिंग थल के चमू से भण्डारी गांव रजवार मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.555 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भण्डारीगांव रजवार पट्टी मुवानी तहसील देवलथल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-67 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 7776 रकवा 1.254 है०, 7778 रकवा 1.314 है०, 7780 रकवा 1.189 है०, 11081 रकवा 0.030 है०, 11082 रकवा 3.009 है०, 11083 रकवा 0.314 है० कुल 06 खेतों की 7.110 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार देवलथल स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।
दिनांक जून, 30, 2022

(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या- 1899 /सात- 66 /2021-22

दिनांक जुलाई, 01, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडिहाट।
4. तहसीलदार देवलथल को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

KML वन
3.752
3.753

उत्खारण खतोनी

ग्राम: भणवारीगोव राजवार पट्टी: मुवानी तहसील: बीबीहाट जिला: पिप्रीतागढ़
खती (0.3) ए. कृषि कोष का वार भूमि।

खता सं०	खतादार का नाम	क्रमशः सं०	रकबा (है० मी)	विवरण
67	श्रीमान बालर बर्बोस आबाद	3	0.69	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 1898 दिनांक 01/07/22 के आदेशानुसार खेत न० 8957 रकबा 1.692 है०, 8958 रकबा 1.752 है०, 8959 रकबा 1.692 है०, 8960 रकबा 2.604 है० कुल 04 खेतों की 7.140 है० भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ह०अ० पटवारी मुवानी
		15	0.074	
		33	0.191	
		61	0.041	
		क्रमशः खतोनी अनुसार		
		1720	0.013	
		1726	0.051	
		1735	0.019	
		क्रमशः खतोनी अनुसार		
		7776	1.254	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 1899 दिनांक 01/07/22 के आदेशानुसार के खेत न० 7776 रकबा 1.254 है०, 7778 रकबा 1.314 है०, 7780 रकबा 1.189 है० 11081 रकबा 0.030 है०, 11082 रकबा 3.009 है०, 11083 रकबा 0.314 है० कुल 06 खेतों की 7.110 है० भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ह० अ० पटवारी मुवानी
		7778	1.314	
		7780	1.189	
		क्रमशः खतोनी अनुसार		
		8957	1.692	
		8958	1.752	
		8959	1.692	
		8960	2.758	
		क्रमशः खतोनी अनुसार		
		11081	0.13	
		11082	3.009	
		11083	0.314	
		क्रमशः खतोनी अनुसार		
		21982	0.008	
		21984	0.008	
		6145/22082	0.033	
योग	1343	142.625		

महोदय,

असल से नकल तैयार किया।

हिमांशु केमरे

राजवार उपनिर्वाक

क्षेत्र मुवानी

जिला- पिप्रीतागढ़

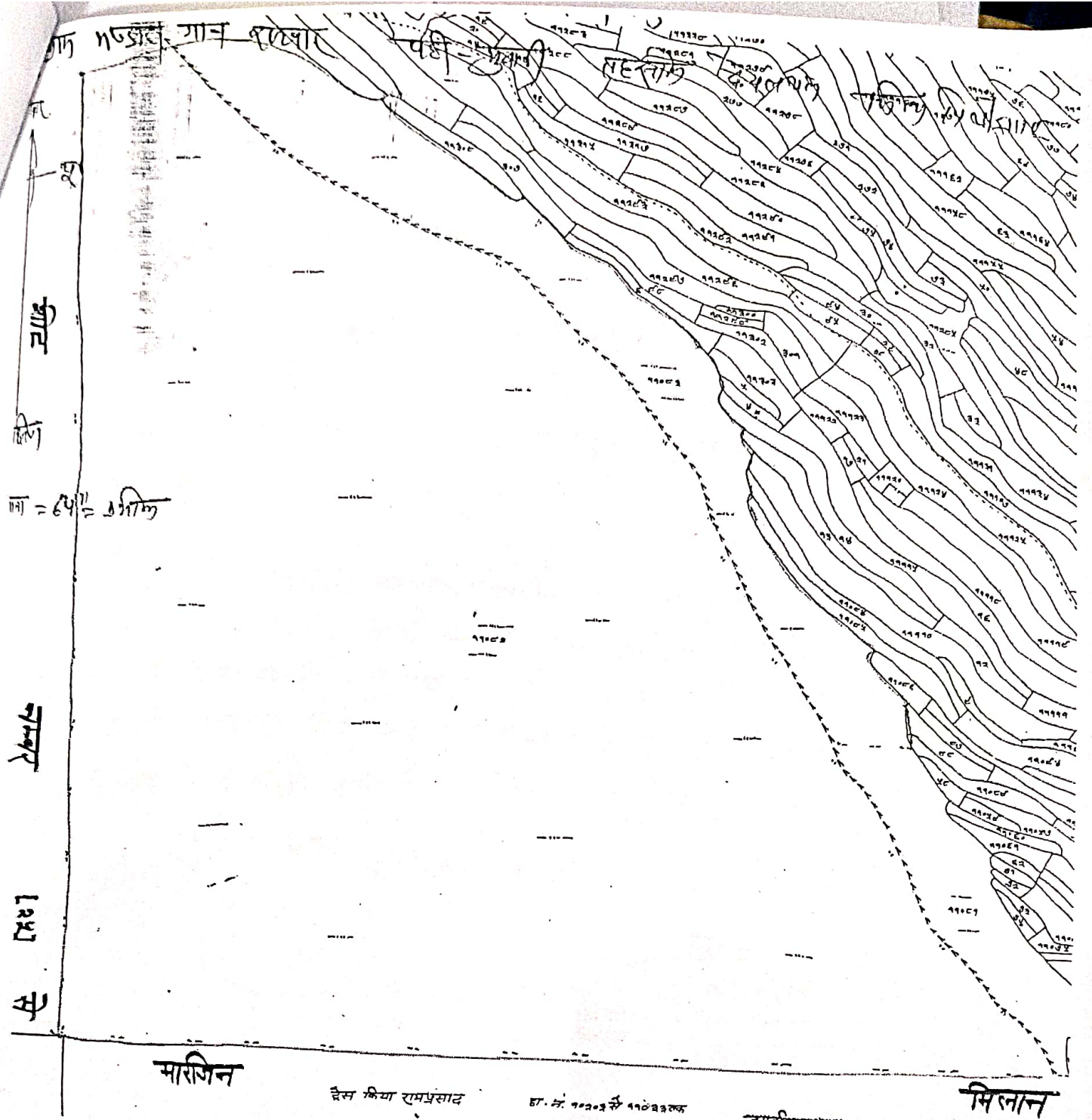
29/5/24

रहस्य

श्री गेव रत्नवा पदी, तुवारी तहसील वयलपक जिला पिपरा २०१६

महीदप, मोका एहला तैया किण,

तहसील ६४०१५७
दिनांक १६/०२/१६



- स्मिन्त
- खेत
- रास्ता
- प्रति

महोदय, जयशे की क्षण उरि लतापि

डी० एस० भण्डारी
रा० रा० नि० पुनर्
वसूल
दिनांक 16/07/18

सेवा में, श्रीमान तहसीलदार महोदय डयलपल

विषय - राज्य योजना आयोग सतसिलिंग पल मोटर मार्ग से चमू भण्डारी गोष रजवार तक मोटर मार्ग निर्माण में ऊँची 3.555 हेक्टेयर भूमि के बदले क्षतिग्रस्त वृक्ष रोपण हेतु न.॥० हे० सिक्का भूमि उपलब्ध करीये मान सम्मति में।

महोदय, उपरोक्त विषयक कार्यलय पिलाधिकारी पिपौरागढ़ के पत्र सं. स्थाप/द्वितीय पत्र/२०१७-१८ दिनांक जुलाई १२, २०१८ का संदर्भ ग्रहण करते का कष्ट करे, क्षतिग्रस्त वृक्ष रोपण हेतु ग्राम भण्डारी गोष रजवार के N.C.A. खतोनी छात्रा सं. ६३ में चयनित किया गया है। कवरा, बसरा, खतोनी तैयार कर सलगप है। 3.555 हे० के बेटुने न.॥० हे० भूमि का चयन किया गया है,

आवे। ज्ञान रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

डी० एस० भण्डारी
रा० उ० नि० प्रवर्ती
तहसील देवदासपुर
दिनांक १६/०८/१८

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



 ह0/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अग्रिशासी अभिय
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रूखावार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



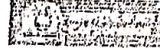
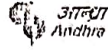

सहायक अभियन्ता
राज्य योजना विभाग
पिथौरागढ़



ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशामी अभियन्ता
राज्य योजना विभाग
पिथौरागढ़

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 23-08-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6141148654
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/05/2021/FC
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwdpithoragarh@gmail.com 9412144099 5964-225115
Amount(in Rs)	4733013/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Forty-Seven Lakh Thirty-Three Thousand and Thirteen Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Send a line of confirmation through Email: helpdesk@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia

Print

Back

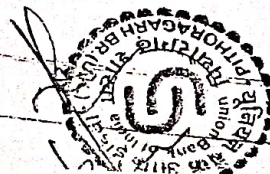
5635

3=00

CMS Transaction

No:- 60140202308

29151396

Transaction
date =Beneficiary A/C No =
IFSC Code =Transit - 591156029
Dt - 11/12/2023Placed
Date
12/12/24

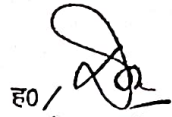
परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

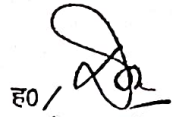
परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



सहायक अभियन्ता
राज्य योजना विभाग
पिथौरागढ़



ह0/ 
प्रयोक्ता एजेन्सी
राज्य योजना विभाग
पिथौरागढ़

प्रारूप-51

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एनपीवी की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एनपीवी की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एनपीवी की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।




सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0
पिथौरागढ़



ह0
प्रमुख अभियन्ता
आधुनिकीकरण
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0
पिथौरागढ़

प्रारूप-52

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी० 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०पी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
1	0.60मी० 0.60मी० 0.60मी० के आर०सी०पी० पीलर निर्माण कार्य (लो०नि०वि० दरों के आधार पर) समस्त आपूर्ति सहित।	40	6000.00	240000.00
	कुल योग			240000.00


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधिरासी अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०)
पिथौरागढ़


प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रपत्र 2.11

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

आर सी०सी० पीलरों की धनराशि को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण में आर० सी० सी० पीलरों की घनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा/करा दी जायेगी।

26

सहायक अभियन्ता
पन्नीय खण्ड लो०नि०
विशौरागढ़



अधिकासी अधिद
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० ।
पिथौरागढ़

परियोजना-का-नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजदार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को लूँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार के वन शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा देखा गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य हैं।

हस्ताक्षर -

प्रयोक्ता एजेंसी

आधिकारिक अभि

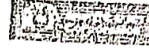
प्रमाणित करने वाले लोग

विशेषज्ञ

Challan

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 23-08-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6141148654
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/05/2021/FC
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwdpithoragarh@gmail.com 8412144090 5964-225115
Amount(in Rs)	4733013/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words : Forty-Seven Lakh Thirty-Three Thousand and Thirteen Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

y send a line of confirmation through Email: helpdesk@

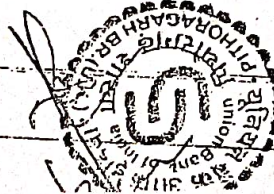
llan, if the payment status has not been updated
your challan with transaction date and reference
unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofind

Print

Back

5635

3=00



CMS Transaction

No:- 60140202308

29151396

Transaction
Date =Beneficiary A/c No =
IFSC code =Transaction - 59115602-9
Dt - 11/12/2023Placed
Done
12/12/24